राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2025/55
राजस्व वाद संख्या—18/2025
आदेश दिनांक— 21.05.2025
निर्णय दिनांक—.10.09.2025

उनवानी—

1. लादूराम पुत्र छीतरमल जाति रेगर निवासी ग्राम नरेना तह0 रूपनगढ़ —प्रार्थी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र मोहनलाल जाति खटीक नि0 ग्राम नरेना तह0 रूपनगढ़
2. बिरदा पुत्र मोहनलाल जाति खटीक नि0 ग्राम नरेना तह0 रूपनगढ़
3. शैतान पुत्र रामलाल
4. इन्द्रा पत्नि मानाराम
5. हनुमान पुत्र रामलाल
6. हनुमान पुत्र रामलाल
7. कमला पुत्री लाला
8. करतार पुत्र रामलाल
9. कानाराम पुत्र हरकरण
10. पारा देवी पत्नि छोटू
11. मंगलाचन्द पुत्र कानाराम
12. मानाराम पुत्र लाला
13. रतनलाल पुत्र छोटू

अप्रार्थी संख्या 3 से 13 जाति जाट, निवासी ग्राम नरेना, तहसील रूपनगढ़

14. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान। —अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—:1. श्री जितेन्द्र प्रजापत अधि0 प्रार्थी

—:निर्णयः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल खातेदारी, कब्जे काश्त की आराजी ाम नरेना, पटवार हल्का जूणदा तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 740/52 क्षेत्रफल 2.9137 है0 भूमि स्थित है जिसके चारों दिशाओं में लगवा ख0न0 50, 52 (सरकारी भूमि), 741/52 खातेदारी भूमि, 5(गै0मु0रास्ता) व 51 खातेदारी भूमि है। इसलिये इनके खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 आये दिन प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि की सींव उखाड़ने र आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात अतिचार, अतिकमण करने पर आमादा है एवं ीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करते है जिससे प्रार्थीगण काफी परेशान है। प्रार्थी की वर्णित ातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.05.2024 को हो चुका जिसकी फोटी प्रति संलग्न । प्रार्थना पत्र प्रस्तुति का कारण दिनांक 26.04.2025 को उत्पनन हुआ जब प्रार्थी की आराजी पर ृषि कार्य कर रहे थे तब अप्रार्थीगण आपस में गुट तैयार करके जबरन प्रार्थी की आराजी में तिचार, अतिकमण करने पर आमादा हो गये तब प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी का सीमाज्ञान दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

13.05.204 की फोटो प्रति बताई तो अप्रार्थीगण धमकी देने लगे की हम किसी सीमाज्ञान को नही मानते है। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ौसी खातेदारान के मध्य मींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम नरेना के ख0न0 740/52 क्षेत्रफल 2.9137 है0 भूमि की पड़ौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.9.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)